डाक विभाग		दूरसंचार विभाग	
समूह "ग"	समूह "घ"	समूह "ग"	समूह "घ"
79	19	241	111

(ख) समूह "ग" और "घ" में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

डाक विभाग			दूरसंचार विभाग	
वर्ष	समूह "ग"	समूह "घ"	समूह "ग"	समूह "घ"
1994-95	91	24	28	शून्य
1995-96	63	30	36	शून्य
1996-97	117	29	31	01

वर्ष 1997-98 के दौरान नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या इस प्रकार है:

डाक विभाग		दूरसंचार विभाग	
समूह "ग"	समूह "घ"	समूह "ग"	समूह "घ"
79	19	60	10

(ग) समूह "ग" संवर्ग की भर्ती के लिए भर्ती की औपचारिक्तायें पूरी की जा रही हैं। समूह "घ" संवर्गों के रिक्त पद दूरंसचार विभाग में पहले से ही उपलब्ध अस्थायी दर्जे के पात्र मजदूरों में से तथा डाक विभाग में अतिरिक्त विभागीय एजेंटी द्वारा भरे जा रहै हैं।

गुजरात के बन्दरागाह

*109. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के छोटे और मझौले बंदरगाहों का विस्तार करने कि लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या इन बंदरगाहों से निर्यात करने की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) राज्य में ऐसे कितने बंदरगाह हैं जिन्हें निर्यात के लिए सुविधाओं से सज्जित करने पर विचार किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी जी वेंकटरामन):(क) से (घ) गुजरात सरकार ने राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 1995 में घोषित पत्तन नीति के अनुसार कार्गो का आयात/निर्यात हैंडल करने के लिए 10 हरित क्षेत्र पत्तनों का विकास करने और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित करने पर विचार किया है। उन पत्तनों के ब्यौरे जिन्हें विभिन्न किस्म के कार्गो हैंडल करने के लिए सुविधाओं से सुसज्जित किया जाना है, इस प्रकार है:-

पत्तन का नाम	कार्गो का स्वरूप जिसके लिए सुविधाएं प्रदान की जानी हैं
संयुक्त क्षेत्र के पत्तन	
(a) रोजी (बेदी)	कृषि
(b) पोसित्रा	पीओएल, कन्टेनर एवं कोयला
(c) दहेज	औद्योगिक
(d) मुन्द्रा	सामान्य कार्गो
गैर-सरकारी पत्तन	
5. सिमार	विद्युत परियोजना (कोयला)
6. मिथीविर्दी	इस्पात एवं आटोमोबाइल
7. धुलेरा	सामान्य कार्गो
8. हजीरा	औद्योगिक
9. वांसी बोरसी	पेट्रोलियम एवं तरल रसायन
10. मरोली	औद्योगिक

टेलीफोन सलाहकार समितियां

*110. **श्री राम देव भंडारी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टेलीफोन विभाग में किन किन स्तरों पर सलाहकार समितियां हैं और उनके सदस्यों की संख्या कितनी कितनी है;

(ख) इन समितियों की एक वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं और इन बैठकों में किस प्रकार के मुद्दों पर विचार किया जाता है;

(ग) क्या इन समितियों की नियमित बैठकों के संबंध में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (ख) प्रत्येक टेलीफोन सलाहकार समिति की और बैठकें वर्ष की प्रत्येक तिमाही में एक एक बार आयोजित की जाती है। इन बैठकों में जिन मुद्दों पर विचार किया जाता है, उनका उल्लेख अनुपत्र (देखिए परिशिष्ट 182 अनुपत्र सं. 12) में दिया गया है।